



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127758

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 20012/2026

अक्षय कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: जनार्दन यादव, माणिकांत यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. आवेदक की ओर से वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 95/2026 तहत धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़ में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की याचना के साथ दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आवेदक के कब्जे से बरामद दर्शाई गई मादक पदार्थ की मात्रा 5 किलोग्राम 150 ग्राम गांजा है, जो व्यावसायिक मात्रा से कम बताई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गई है। यह तर्क है कि पुलिस द्वारा केवल अपराध की गंभीरता बढ़ाने हेतु मात्रा को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है। बरामदगी के संबंध में अभियोजन कथानक की सत्यता पर आक्षेप करने वाले अन्य तर्क भी प्रस्तुत किए गए हैं। आगे यह तर्क है कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के सांविधिक उपबंधों का अक्षरशः एवं मूल भावना के अनुरूप अनुपालन नहीं किया गया है, अतः, अभिकथित बरामदगी की विधिक पवित्रता दूषित हो जाती है। अधिवक्ता द्वारा आवेदक की मिथ्या आलिप्तता को इंगित करने वाली परिस्थितियों को प्रदर्शित करने का भी प्रयास किया गया है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्कों के दौरान अभियोजन के पीछे की दुर्भावना का भी अभिवचन किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक दिनांक 15.04.2026 से कारागार में है तथा उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की याचना का विरोध करते हुए यह प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है, अतः, वह जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किए गए विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा कारावास की व्यतीत अवधि, तथा किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करते हुए, और मामले के गुणागुण पर कोई अभिमत व्यक्त किए बगैर, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक के पक्ष में जमानत का मामला बनता है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **अनुमत किया जाता है।**

7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में लिप्त आवेदक- **अक्षय कुमार** को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि के दो प्रतिभुओं समेत एक व्यक्तिगत बंधपत्र

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। आगे, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभुओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दायर करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन याचित नहीं करेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बगैर उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में विचारण न्यायालय धारा 229-A भा.द.सं./ धारा 269 बी.एन.एस. के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि, विचारण के दौरान, आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दं.प्र.सं./धारा 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार धारा 174-A भा.द.सं./धारा 209 बी.एन.एस. के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले के आरम्भन, (2) आरोप विरचन, तथा (3) बयान तहत धारा 313 दं.प्र.सं. के अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बगैर है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत के निरसन का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षीगण के परिसाक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र अभिमत बनाने में किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

17 जून, 2026

नितेन्द्र

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।